



सं./No. 1/7/2011-जीवनांक(सी.आर.एस.)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block -I, R.K. Puram, New Delhi - 110066

Tele-fax: 26104012 E-mail - drq-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक - 12-3-2012

परिपत्र

विषय :- गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना ।

जैसा कि आपको विदित ही है कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1969 की परिधि के अंतर्गत किया जाता है । अब तक गोद लिए गए बच्चों के जन्म के रजिस्ट्रीकरण के मुद्दे पर 1999 में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है । सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ विषयनिष्ठता को जोड़ने और किए गए परिवर्तनों के साथ समानता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए इस विषय पर पुनः ध्यान देने की आकस्मिक आवश्यकता महसूस की गई है । इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मौजूदा जन्म सूचना प्रपत्र के पैटर्न पर नया जन्म सूचना प्रपत्र (1क) नामतः 'गोद लिए गए बच्चे के लिए जन्म रिपोर्ट' लागू करने का निर्णय लिया गया है । नए प्रपत्र में दो भाग नामतः विधिक और सांख्यिकीय भाग भी शामिल हैं । उपर्युक्त प्रपत्र संस्थान अथवा अन्यथा दोनों के माध्यम से गोद लेने के लिए लागू होगा । गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

1. संस्थानों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे

संस्थानों के माध्यम से गोद लेने के संबंध में हो सकता है कि अभिभावकों के ब्योरों का पता हो अथवा न हो और बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण हुआ हो अथवा न हुआ हो । दोनों मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो अथवा न हो । दोनों मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण हो चुका हो अथवा अभी तक न किया गया हो, दोनों की प्रक्रिया अलग होगी ।

(i) जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम हो :

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा । बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा । जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा । जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा ।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक एजेंसी स्थित है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(ii) **जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो**

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, को आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम से संबंधित कालम खाली रहेगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक एजेंसी स्थित है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(iii) **जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो**

(क) जन्म को रजिस्ट्रीकृत केवल तभी माना जाएगा जब मूल जन्म प्रमाणपत्र या उसकी प्रति संलग्न की गई हो। मूल जन्म प्रमाणपत्र में यथा उल्लेखित जन्म स्थान और जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसमें दी गई जानकारी वही रहेगी। तथापि दत्तक आदेश/विलेख में विहित ब्योरों के आधार पर उस रजिस्ट्रार द्वारा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण हुआ है, बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा।

(ख) सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुलभ बनाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में दत्तक एजेंसी स्थित है, विधिवत भरा हुआ जन्म सूचना प्रपत्र दत्तक आदेश/विलेख सहित तथा मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रति उस रजिस्ट्रार को भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया हो। रजिस्ट्रार जन्म के रिकार्डों में बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम तथा दत्तक अभिभावक के पते में परिवर्तन करने का भी अनुरोध करेगा तथा दत्तक अभिभावक को उपलब्ध कराए जाने के लिए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र उसे भेजेगा।

2. **संस्थाओं से बाहर गोद लिए गए बच्चे**

संस्थाओं के माध्यम से गोद लिए जाने के अतिरिक्त अनेक बच्चों को संबंधियों/परिचितों द्वारा गोद लिया जाता है। ऐसे मामले में भी यह हो सकता है कि बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकृत हो अथवा न हो। इन दोनों ही मामलों अर्थात् जन्म का रजिस्ट्रीकरण पहले ही हो चुका है अथवा रजिस्ट्रीकरण अभी नहीं हुआ है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) **जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तथा अभिभावक का नाम मालूम है -**

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण किया गया है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट हैं, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक का नाम भी दर्ज किया जाएगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक ग्रहण किया गया है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ii) **जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया हो तथा अभिभावक का नाम मालूम नहीं हो**

(क) यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण किया गया है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि का पता न होने की स्थिति में सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश/विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा। जन्म तिथि के अलावा, दत्तक अभिभावक का नाम तथा दत्तक अभिभावक का पता जैसा कि दत्तक आदेश/विलेख में अंतर्विष्ट है, के आदेश की संख्या और तारीख सहित जन्म सूचना प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। जन्म सूचना प्रपत्र में अभिभावक के नाम के लिए निर्धारित कालम को खाली रखा जाएगा।

(ख) उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार जहां दत्तक ग्रहण किया गया है, दत्तक विलेख तथा विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र के आधार पर जन्म दर्ज करेगा और दत्तक अभिभावक के नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(iii) **जन्म का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो –**

(क) जन्म को रजिस्ट्रीकृत केवल तभी माना जाएगा जब मूल जन्म प्रमाणपत्र या उसकी प्रति संलग्न की गई हो। मूल जन्म प्रमाणपत्र में यथा उल्लेखित जन्म स्थान और जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उसमें दी गई जानकारी वही रहेगी। तथापि दत्तक आदेश/विलेख में विहित ब्योरों के आधार पर उस रजिस्ट्रार द्वारा जहां जन्म का मूल रूप में रजिस्ट्रीकरण हुआ है, बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा।

(ख) यदि दत्तक आदेश किसी ऐसे स्थान से जारी किया जाता है जो कि उस स्थान से भिन्न है जहां जन्म का वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया है, तो दत्तक अभिभावक उस रजिस्ट्रार से सम्पर्क करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में दत्तक आदेश जारी किया गया है। वह रजिस्ट्रार दत्तक आदेश/विलेख और मूल जन्म प्रमाणपत्र की प्रति सहित विधिवत भरे हुए जन्म सूचना प्रपत्र को उस रजिस्ट्रार के पास भेजेगा जहां जन्म का मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया था। रजिस्ट्रार जन्म संबंधी रिकार्डों में बच्चे के नाम, दत्तक अभिभावक के नाम और दत्तक अभिभावक के पते में परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा तथा दत्तक अभिभावक को उपलब्ध कराए जाने के लिए संशोधित जन्म प्रमाणपत्र उसे भेजेगा।

3. **जन्म सूचना प्रपत्र में प्रविष्टियां/जन्म रिकार्ड में परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।**

(क) 'दत्तक अभिभावक' अथवा 'दत्तक बच्चा' शब्द का प्रयोग जन्म प्रमाणपत्र में नहीं किया जाएगा। जन्म प्रमाणपत्र में दत्तक अभिभावक का नाम 'अभिभावक' (बच्चे के पिता और माता) के रूप में होना चाहिए। जन्म प्रमाणपत्र में 'दत्तक अभिभावक का पता' 'बच्चे के जन्म के समय अभिभावक का पता' के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) पहले ही रजिस्ट्रीकरण किए जा चुके जन्मों के मामले में रजिस्ट्रार किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जन्म रजिस्टर के अभ्युक्ति कालम में उपयुक्त प्रविष्टियां करेगा।

(ग) जन्म सूचना प्रपत्र के विधिक हिस्से को जन्म रजिस्टर (फार्म सं. 7) माना जाएगा। सांख्यिकी हिस्से को अलग कर लिया जाएगा और जन्म संबंधी मासिक रिपोर्ट सार (फार्म सं. 11) सहित संकलन के लिए इसे निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।

(घ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रावधान अनुसार विलम्बित रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान इन मामलों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक विलेख/आदेश के रूप में न्यायिक संकल्प पहले ही जारी किया जा चुका है।

4. फार्म 1-ए संबंधित राज्य नियमावली का हिस्सा होगा तथा नियम 5(1) को संशोधित करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30(1) के अंतर्गत एतद्वारा केंद्र सरकार की आवश्यक अनुमति प्रदान की जाती है। धारा 8 के अंतर्गत मौजूदा नियम 5(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

5(1) जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए फार्म आदि

रजिस्ट्रार को यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना जन्म, दत्तक बच्चे का जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के पंजीकरण के लिए, क्रमशः प्रपत्र सं. 1, 1-क, 2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप में प्रतिवेदन प्रपत्र (रिपोर्टिंग फार्म) कहा जाएगा, में दी जाएगी। यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन प्रपत्रों में उसकी प्रविष्टि की जाएगी और सूचनादाता के हस्ताक्षर कराए जाएंगे/अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा।

5. ये निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के तहत जारी किए रहे हैं। ये दिशा निर्देश पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों को निरस्त करेंगे और तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी।

6. आपसे अनुरोध है कि इस प्रणाली में नए प्रपत्र को समाहित करने के लिए उपर्युक्त नियम में संशोधन कर इन दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि इनके सख्त अनुपालन के लिए सभी पंजीकरण अधिकारियों को निम्नतम स्तर के स्थानीय पंजीयक, (जन्म और मृत्यु) के स्तर के पदानुक्रम तक आवश्यक निर्देश जारी करें। संशोधित नियम की अधिसूचना की एक प्रति के साथ ही प्राधिकारियों को जारी निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को भी रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

ह.

(डा. च. चन्द्रमौलि)

भारत के महारजिस्ट्रार

अनुलग्नक : दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र (1-क)

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)।

सं./No. 1/7/2011-जीवनांक(सी.आर.एस.)

दिनांक - 17-4-2012

उपरोक्त परिपत्र का हिंदी रूपांतर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पी.ए.मिनी)

उप महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.)